28-03-18

राज्य द्वारा एडीपीओ। जमानतदार भगवानसिंह मृत। प्रकरण जमानत राशि की वसूली हेतु नियत है।

शिशुपालसिंह तोमर पुत्र स्व० भगवानसिंह तोमर निवासी ग्राम बकनासा द्वारा उपस्थित होकर एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि अभियुक्त भोले पुत्र शिवसिंह की जमानत उनके पिता द्वारा ली गयी थी। उनके पिता भगवानसिंह की मृत्यु हो चुकी है और न्यायालय के आदेश अनुसार जमानत राशि जमा करने को तत्पर हैं, अतः राशि जमा करने का आदेश करने का निवेदन किया है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त भोला के संबंध में प्रकरण कमाक 48/99 में पांच हजार रूपये की जमानत प्रस्तुत की थी। अभियुक्त के उपस्थित रखने में असफल रहने के कारण दि0 30.06.2000 को यह विविध आपराधिक प्रकरण प्रारंभ हुआ। दौरान विचारण न्यायालय श्री आर0बी0 यादव, तत्कालीन जेएमएफसी गोहद के आदेश दि0 20.01.2006 के द्वारा प्रकरण में पांच हजार रूपये की जमानत राशि जब्त किए जाने का आदेश किया गया। उक्त आदेश को किसी वरिष्ठ न्यायालय से अपास्त करने के संबंध में कोई भी आधार अभिलेख पर नहीं हैं। मूल जमानतदार की मृत्यु हो चुकी है। उसका पुत्र शिशुपालसिंह राशि आदेश दिनांक 20.01.2006 के अनुसार जमा करने को तैयार है।

अतः जब्तशुदा जमानत राशि पांच हजार रूपये जमा की जावे। रसीद बुक क0 11229 रसीद क0 88 पर पांच हजार रूपये जमा किए गए।

अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं।
प्रकरण का परिणाम दर्जकर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)